न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,देसूरी (पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 48 / 2014
तारीख दायरा :– 01.07.2014
नये प्रकरण संख्या :– 08 / 2019
दायरा तिथि :– 12.04.2019

वादीगण :–

प्रेमसिंह पुत्र रावतसिंह
जाति–राजपुरोहित, निवासी–आना
तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. अचलसिंह पुत्र रावतसिंह
2. विजयसिंह पुत्र रावतसिंह
   (मृत कीकसिंह पुत्र रावतसिंह का हक व हिस्सा लाऔलाद फौत होने से वादी व प्रतिवादी अचलसिंह व विजयसिंह में निहित हुआ)
3. (1) सुंगन कंवर पत्नी भोपाल सिंह
   (2) नरपत सिंह पुत्र भोपाल सिंह
   (3) चरण सिंह पुत्र भोपाल सिंह
   (4) राजू सिंह पुत्र भोपालसिंह
4. नाहरसिंह पुत्र कानसिंह
5. गुमान सिंह पुत्र कानसिंह
6. (1) उगम कंवर पत्नी भीकसिंह
   (2) धनश्याम सिंह पुत्र भीकसिंह
   (3) सूर्यप्रकाश सिंह पुत्र भीकसिंह
   (4) आशा कंवर पुत्री भीकसिंह
   (5) मीनू कंवर पुत्री भीकसिंह
   (6) लीला कंवर पुत्री भीकसिंह
7. धीसीदेवी पत्नी भोपालसिंह
8. फूली देवी पत्नी उंकारसिंह
9. धीसूसिंह पुत्र रामसिंह
10. श्रवणसिंह पुत्र रामसिंह
11. सुखीबाई पत्नि रामसिंह

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

12. मांगुसिंह पुत्र स्व. केसरसिंह
तमाम जातिगण–राजपुरोहित निवासीगण– आना
तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान
13. भूमिधारी तहसीलदार देसूरी जरिये राजस्थान सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री दिव्य प्रकाश त्रिवेदी – अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 से 12 अनुपस्थित।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 ,89, 188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– **दिनांक :–22.04.2019**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण 53, 88, 89,188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आना में वादी के पिताजी के समय ही खाता संख्या 259 की पुश्तौनी आराजी का मौखिक बंटवाडा हो गया था।जिस पर वादी के पिताजी अपने हिस्से पर काबिज थे। उनके पश्चात उनके तीनों पुत्रों का उनका हिस्सा निहित हुआ। इस प्रकार 1/4 हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है। यानि 1/4 गुणा 1/3 = 1/12 वा हिस्सा प्रत्येक का आता है। अलग अलग हिस्सा प्रस्तावित नक्शे अनुसार घोषणा करने व विधिक बंटवाडा अनुसार रिकार्ड से अलग अलग दर्ज करने हेतु वाद प्रस्तुत है। उक्त वाद मे पुश्तेनी कुआ व सडा ख.न. 637, 638 है। जिसमें वादी प्रेमसिंह व प्रतिवादीगण सभी पक्षकारान 1 से लगाय 12 का हिस्सा निहित हैं जिससे उक्त बेरा व सडा शाकलाती रखते हुए बटवाडा किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मनमर्जी से जमीन बो रहे है। वादी के हिस्से की अराजी में उसके काश्तकार को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आने नहीं देते है। जिससे आपस में काश्त करना मुश्किल हो गया है। जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच बराबर हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्स विधिक बंटवारा करवाया जावे। शेष सभी सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया है। उनके विरूद्ध रिलीफ नही है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी प्रेमसिंह प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के का. मु. नरपत सिंह व 12 मांगूसिंह उपस्थित शेष अनुपस्थित । पक्षकारान के सम्मन बाद तामिल शामिल पत्रावली किये गये। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड को अवलोकन किया गया। प्रकरण का निस्तारण उपलब्ध रिकार्ड के अनुरूप मेरिट पर किया जाना उचित प्रतीत है।

पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन अध्ययन से जाहिर है कि वादग्रस्त अराजी भूमि मौजा आना के खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, कुल खसरा 14 कुल रकबा 5.88 हेक्टर कुल लगान 190.72 किस्म जा. अ. चा. अ. गै. मू. के वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी
उपखण्ड अधिकारी देसूरी

1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 के का.मु का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकोर्ड है तथा वादी ने इसी अनुरूप खातेदारी की घोषणा एवं विभाजन का निवेदन किया गया है। जिसे प्रतिवादी की स्वीकार कर रहे है। अतः उपरोक्त हिस्सों के अनुरूप वादी तथा प्रतिवादी के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिकी राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट शिविर आना में दिनांक 22.05.2017 को पारित की गई। प्राथमिक डिकी आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का आना को भिजवाई जाकर निर्देश दिये गये कि वे पक्षकारों मे बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के विभाजन का विभाजन रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से, बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक व्यौरा यथा खसरा नम्बर, रकबा, किस्म भूमि, लगान इत्यादि दर्शाते हुये तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक पृथक रंगों से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश करने एवं विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः पत्रावली कायम कर प्रकरण में नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिकी जारी किये जाने के आदेश प्राथमिक डिकी में दिये गये। तथा पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से कम कर दी गई।

जारी प्राथमिक डिकी दिनांक 22.05.2017 की अनुपालना मे वादी प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अन्तिम डिकी पारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र मय प्राथमिक डिकी की छाया प्रति दिनांक 22.05.2017 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। जिसके परिपेक्ष्य मे पृथक से इजराय पत्रावली कायम की गई। तहसीलदार देसूरी से विभाजन रिपोर्ट कमांक/03 दिनांक 12.06.2018 को प्राप्त हो चुकी है। विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पर वादी मय अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली संख्या 48/2014 पुनः दर्ज की गई। अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुरूप अन्तिम डिकी आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः तहसीलदार देसूरी के पत्रांक/राजस्व/18/504 दिनांक 12.06.2018 के प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादग्रस्त आराजी का मौका एवं रेकार्ड मे दर्ज हिस्सों के अनुसार पक्षकारान के मध्य मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बटवारा कर रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। जिस अनुसार विभाजन की अन्तिम डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म भूमि	लगान
1	प्रेमसिंह पुत्र रावत सिंह पुरोहित सा.देह खातेदार	635 634	0.45 0.03	चा.प्र. 0.34 जा.अ. 0.11 चा. प्र. 0.03	13.60 1.43 1.20
	योग	02	0.48	—	16.23

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

2	1. अचलसिंह पुत्र रावतसिंह पुरोहित सा.देह खातेदार हिस्सा 1/12	630	0.41	चा.प्र. 0.31 जा.अ. 0.10	12.40 1.30
	2. विजय सिंह पुत्र रावतसिंह हि. 1/12 पुरोहित सा.देह खातेदार	631	0.34	चा.प्र. 0.25 जा.अ. 0.09	10.00 1.17
	3. (1) सुगन कंवर पत्नी भोपाल सिंह हि. 1/24 पुरोहित सा.देह खातेदार रहन– RMGB देसूरी	632	0.71	चा.प्र. 0.51 जा.अ. 0.20	20.40 2.60
		633	0.20	चा.प्र. 0.15 जा.अ. 0.05	6.00 0.65
	(2) नरपतसिंह पुत्र भोपाल सिंह हि. 1/24 पुरोहित सा.देह खातेदार	634/1	0.28	चा.प्र. 0.20 जा.अ. 0.08	8.00 1.04
	(3) चरण सिंह पुत्र भोपाल सिंह हि. 1/24 पुरोहित सा. देह खातेदार	636	0.49	चा.अ. 0.37 जा.अ. 0.12	14.80 1.56
		639	0.14	जा.अ. 0.04 चा.प्र. 0.10	0.52 4.00
	(4) राजूसिंह पुत्र भोपालसिंह हि. 1/24 पुरोहित सा.देह खातेदार	640	0.15	चा.प्र. 0.11 जा.अ. 0.04	4.40 0.52
	4. नाहरसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/24 पुरोहित सा. देह खातेदार रहन– RMGB देसूरी	641	0.90	जा.अ. 0.23 चा.प्र. 0.67	2.99 26.80
		642	0.83	चा.प्र. 0.64 जा.अ. 0.19	25.60 2.47
	5. गुमान सिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/24 सा. देह खातेदार	643	0.81	चा.प्र. 0.62 जा.अ. 0.19	24.80 2.47
	6. (1) उंगम कंवर पत्नी भीकसिंह हि. 1/72 पुरोहित सा. देह खातेदार (2) धनश्यामसिंह पुत्र भीकसिंह हि. 1/72 पुरोहित सा. देह खातेदार (3) सूर्यप्रकाशसिंह पुत्र भीकसिंह हि. 1/72 पुरोहित सा. देह खातेदार (4) आशाकंवर पुत्री भीकसिंह हि. 1/72				

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

	पुरोहित सा. देह खातेदार (5) मीनुकंवर पुत्री भीकसिंह हि. 1/72 पुरोहित सा. देह खातेदार (6) लीलाकंवर पुत्री भीकसिंह हि. 1/72 पुरोहित सा. देह खातेदार 7. घीसीदेवी पत्नि भोपालसिंह हि. 1/12 पुरोहित सा. मादा खातेदार राहिन पूर्ण खाता पाली जिला सहाकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा नारलाई हिस्सा पूर्ण RMGB देसूरी 8. फूलीदेवी पत्नि उंकारसिंह हि. 1/12 पुरोहित सा. सेपटावा खातेदार 9. घीसूसिंह पुत्र रामसिंह हि. 1/24 पुरोहित सा. देह खातेदार 10. श्रवणसिंह पुत्र रामसिंह हि. 1/24 पुरोहित सा. देह खातेदार 11. सुखीबाई पत्नि रामसिंह हि. 1/24 पुरोहित सा. देह खातेदार 12. मांगूसिंह पुत्र केसरसिंह हि. 1/8 पुरोहित सा. देह खातेदार रहन– RMGB देसूरी **उपरोक्त खातेदारान की संयुक्त खातेदारी है।**				
	योग	**11**	**5.26**	—	**174.49**
3.	वादी प्रेमसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 संयुक्त सा. देह खातेदार	637 638	0.01 0.13	गै.मु. बेरा गै.मु. सडा	— —
	योग	**2**	**0.14**	—	—

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शें में तरमीम किया जावें। वादी के बंट हिस्सा व कब्जे में दखलदांजी करने से रोकने हेतु प्रतिवादी 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 190.72 रूपयें का पांच गुना पर देय मुद्रांक के बतौर रूपयें 50/– के नोन ज्यूडिश्यल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं अंतिम डिक्री पर्चा की एक प्रति तहसीलदार देसूरी को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर संख्या से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

प्रपत्र 5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय (आर.ए.एस.)

वादीगण :–

प्रेमसिंह पुत्र रावतसिंह
जाति–राजपुरोहित, निवासी–आना
तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. अचलसिंह पुत्र रावतसिंह
2. विजयसिंह पुत्र रावतसिंह
   (मृत कीकसिंह पुत्र रावतसिंह का हक व हिस्सा लाऔलाद फौत होने से वादी व प्रतिवादी अचलसिंह व विजयसिंह में निहित हुआ)
3. (1) सुंगन कंवर पत्नी भोपाल सिंह
   (2) नरपत सिंह पुत्र भोपाल सिंह
   (3) चरण सिंह पुत्र भोपाल सिंह
   (4) राजू सिंह पुत्र भोपालसिंह
4. नाहरसिंह पुत्र कानसिंह
5. गुमान सिंह पुत्र कानसिंह
6. (1) उगम कंवर पत्नी भीकसिंह
   (2) धनश्याम सिंह पुत्र भीकसिंह
   (3) सूर्यप्रकाश सिंह पुत्र भीकसिंह
   (4) आशा कंवर पुत्री भीकसिंह
   (5) मीनू कंवर पुत्री भीकसिंह
   (6) लीला कंवर पुत्री भीकसिंह
7. घीसीदेवी पत्नी भोपालसिंह
8. फूली देवी पत्नी उंकारसिंह
9. घीसूसिंह पुत्र रामसिंह
10. श्रवणसिंह पुत्र रामसिंह
11. सुखीबाई पत्नि रामसिंह
12. मांगुसिंह पुत्र स्व. केसरसिंह

तमाम जातिगण–राजपुरोहित निवासीगण– आना
तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

13. भूमिधारी तहसीलदार देसूरी जरिये राजस्थान सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री दिव्य प्रकाश त्रिवेदी – अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 से 12 अनुपस्थित।

दावा बाबत **53, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
मुकदमा नम्बर :– **48/2014**
नये प्रकरण संख्या :– 08/2019
निर्णय दिनांक :– **22.04.2019**

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसायल कतेइ रूबरू हमारे हाजिर वकील वादी दिव्य प्रकाश मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 01 से 12 अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त भूमि मौजा आना के खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, कुल खसरा 14 कुल रकबा 5.88 हेक्टर किस्म चा.अ व जा.अ कुल लगान 190.72 रूपये चाही दोयम मे वादी का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/8 हिस्सा का दर्ज रिकोर्ड है। तथा वादी इसी अनुरूप खातेदारी की घोषणा व विभाजन का निवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त हिस्सो के अनुरूप वादी एवं प्रतिवादी गण संख्या 1 से 12 के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री आदेश लोक अदालत केम्प कोर्ट आना में दिनांक 22.05.2017 को पारित की गई। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार देसूरी द्वारा पक्षकारान के मध्य मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर बटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पारित प्राथमिक डिक्री के निर्देशानुसार पुनः पत्रावली कायम कर प्रस्तवित बंटवाडा रिपोर्ट तहसीलदार, देसूरी अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जाती है।

1. प्रेमसिंह पुत्र रावत सिंह पुरोहित सा.देह खातेदार खसरा न. 635 रकबा 0.45 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जा.अ. खसरा न. 634 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.48 हैक्टर कुल लगान 16.23 रूपये की खातेदारी है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 12 मय उनके का.मु खातेदारान के खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634/1, 636, 639, 640, 641, 642, 643 कुल 11 खसरा, कुल रकबा 5.26 हैक्टर किस्म चा.अ. व जा.अ. कुल लगान 174.49 रूपये की निर्णय के मुताबित सयुक्त खातेदारी है।
3. वादी प्रेमसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के सयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 637 रकबा 0.01 किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा 368 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म गैर

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

मुमकिन सडा कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.14 हैक्टर की सयुक्त खातेदारी रेकर्ड के अनुसार है।

अतः उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद एवम नक्शे मे तरमीन किया जावे। वादी के बंट व हिस्सा व कब्जे में दखलदांजी करने से रोकने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तलसीलदार, देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं अन्तिम डिकी पर्चा का भाग माना जावे। पालना हेतु तहसीलदार, देसूरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.04.2019 को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्म नामा			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी